पत्र संख्या-एस0एस0-खण्ड पुनर्गठन-2010-11 / 522 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनॉक : 12/7/,2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर /

समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-111 दि0 07-05-10 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजस्व की दृष्टि से प्रदेश में समस्त खण्डों को ए एवं बी श्रेणी में विभाजित किया गया है। राजस्व की दृष्टि से बड़े खण्ड ए श्रेणी के निर्धारित करते हुए ए श्रेणी व बी श्रेणी के खण्डों में अधिकारी की तैनाती व अधिकारी के अन्तर्गत व्यापारी के अधिक्षेत्र का मानक उल्लिखित किया गया है।

सन्दर्भित पत्र में कार्यालय अभिलेख एवं कार्य के शीर्षक में क्रमांक-8 में उल्लिखित किया है कि ए श्रेणी के खण्ड में डिप्टी कमिश्नर के लिए एक खातापालक अलग से आवन्टित किया जायेगा, जो उनसे सम्बन्धित पत्रावलियों का रखरखाव, लेजर, बकाया रजिस्टर, आई0टी0सी0 रजिस्टर, वि0अनु0शा0 एवं सूचना सम्बन्धी रजिस्टर तथा स्थगन रजिस्टर अलग से रखेगा।

वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी संगठनों की मॉग पर विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत सन्दर्भित पत्र के क्रमांक-8 पर उद्धृत अंश के सापेक्ष कार्यवाही को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

अत: उपर्युक्तानुसार इस बिन्दु पर पूर्व की व्यवस्थानुसार क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्यालय के समस्त अनुभाग प्रभारी।
3. अध्यक्ष / महामंत्री, यू0पी0 मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0।

12/07/10

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।